संख्या-13/2019/376/60-2-19-2/1(24)17टी0सी0

प्रेषक,

गया प्रसाद,

विशेष सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,

बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

महिला एवं बाल विकास अनुभाग-2 **लखनऊ : दिनांक : 07 मार्च, 2019**

विषय : अनुदान संख्या-49 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए शबरी संकल्प अभियान के अन्तर्गत प्रावधानित धनराशि के सापेक्ष आंगनबाड़ी केन्द्रों पर गैस चूल्हा, सिलेंडर, पकाने व खाने के बर्तनों की व्यवस्था करने हेतु वित्तीय स्वीकृति जारी करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-1292/बा0वि0परि0/लेखा/2018-19, दिनांक 22 जनवरी, 2018 का सन्दर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुदान संख्या-49 के लेखाशीर्षक "2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-02-समाज कल्याण-102-बाल कल्याण-20-शबरी संकल्प अभियान" के मानक मद-43-सामग्री एवं सम्पूर्ति में पुनर्विनियोग के पश्चात प्राविधानित धनराशि रू0 49835.74 लाख में से 21 जनपदों के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के कुल 24710 आंगनबाड़ी केन्द्रों पर गैस चूल्हा, सिलेंडर, पकाने व खाने के बर्तनों की व्यवस्था करने हेतु प्रति केन्द्र रू0 6012.00 की दर से कुल रू0 1485.56 लाख (रू0 चौदह करोड़ पचासी लाख छप्पन हजार मात्र) की धनराशि की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते हैं :-

(1) उक्त स्वीकृत धनराशि कोषागार से आवश्यकतानुसार आहरित की जायेगी। आहरित धनराशि को किसी भी दशा में बैंक में नहीं रखा जायेगा।

(2) स्वीकृत धनराशि का व्यय केवल प्रश्नगत योजना पर ही, समय-समय पर राज्य सरकार के सुसंगत शासनादेशों द्वारा निर्धारित तत्सम्बन्धी मानकों/दिशा-निर्देशों तथा सुसंगत वित्तीय नियमों का अनुपालन करते हुए किया जायेगा और किसी भी दशा में स्वीकृत धनराशि से अधिक का व्यय नहीं किया जायेगा।

(3) उक्त स्वीकृत धनराशि को किसी अन्य योजना/कार्यक्रम/मद/इकाई पर व्यय नहीं किया जायेगा। यदि कोई वित्तीय अनियमितता पायी जाती है, तो इसके लिए निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार उत्तरदायी होंगे।

(4) स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष नियमानुसार व्यय के आडिटेड लेखों के सम्बन्ध में सदुपयोगिता प्रमाण पत्र समयबद्ध रूप से प्रस्तुत किया जायेगा।

(5) स्वीकृत धनराशि का व्यय महिला एवं बाल विकास अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-5/2019/172/60-2-19-2/ 3(2)08टीसी दिनांक 17 जनवरी, 2019 में दिये गये निर्देशानुसार किया जायेगा।

(6) उक्त धनराशि का आवंटन (एलाटमेन्ट) मात्र ही किसी प्रकार का व्यय करने का अधिकार प्रदान नहीं करता है। अतः बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत नियमों तथा इस सम्बन्ध में समय-समय पर जारी स्थायी आदेशों के अन्तर्गत जिन मदों पर व्यय करने के लिए राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, व्यय करने से पूर्व तत्सम्बन्धी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय तथा इसे विहित प्रक्रिया एवं नियमों के अनुसार ही व्यय किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in

(7) स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष आवंटन/वितरित धनराशि के समक्ष किये गये व्यय पर नियंत्रण के सम्बन्ध में वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-बी-1-1195/दस-16/94, दिनांक 06 जून, 1994 एवं कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018, दिनांक 30 मार्च, 2018 में दिये गये दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

(8) इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-49 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-02-समाज कल्याण-102-बाल कल्याण-20-शबरी संकल्प अभियान" के मानक मद-43-सामग्री एवं सम्पूर्ति के नामे डाला जायेगा।

(9) यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-4-191/दस/2019, दिनांक 07 मार्च, 2019 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(गया प्रसाद)
विशेष सचिव।

संख्या-13/2019/376(1)/60-2-19-2/1(24)/17टी0सी0, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।

2- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।

3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

4- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1

5- आहरण एवं वितरण अधिकारी, निदेशालय, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, उ0प्र0 लखनऊ।

6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(शिवराज कुमार यादव)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in